बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांकः ल०सि०ग०-03/2019/ /पटना, दिनांक-

प्रेषक,

वंशीधर मिश्र,
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः- **छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017-18 और जल निकाय गणना हेतु संलग्न अपील प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं विकास बिभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा भारत सरकार के "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना" अन्तर्गत छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017-18 और जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य पूरे राज्य में प्रारंभ हो गया है। आम नागरिकों से सहयोग हेतु संदर्भित संलग्न अपील की छः प्रतियाँ प्रकाशित करने हेतु संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि को राज्य के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित कराने के साथ ही उक्त क्रियान्वयन की सूचना से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः- 588 /पटना, दिनांकः- 17.05.19

प्रतिलिपिः-निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

2. श्री सुदामा प्रसाद, आई.टी.मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए ऑनलाईन अपील राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में अविलंब प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/5/19

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

tender notice forwarding

बिहार सरकार

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 और जल निकाय गणना

अपील

छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 और जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य पूरे राज्य में प्रारंभ हो गया है। छठी लघु सिंचाई गणना अन्तर्गत उन सभी भूजल एवं सतही जल योजनाओं यथा–कुआँ, तालाब, उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप, गहरे नलकूप एवं सतही जल योजनाओं की गणना की जा रही है। जिससे अधिकतम 2000हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है। जल निकाय गणना अन्तर्गत सिंचाई या अन्य प्रयोजन (औद्योगिक, मत्स्य पालन, घरेलू/पीने हेतु, धार्मिक एवं भूजल पुनर्भरण आदि) के लिए जल निकाय गणना का कार्य ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रों में किया जा रहा है।

छठी लघु सिंचाई गणना के साथ–प्रथमवार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकाय गणना का भी कार्य कराया जा रहा है। जल निकाय गणना में Mobile App के माध्यम से अक्षांस और देशांतर के साथ उस जल निकाय का फोटो लेने का प्रावधान रखा गया है। जिसे ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भारत सरकार के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जायेगा। जल निकाय गणना से जल के विभिन्न स्त्रोतों एवं इनके उपयोग की जानकारी एकत्रित की जायेगी जो सिंचाई एव जल स्तर के सरंक्षण में निर्णायक सिद्ध होगें।

इस गणना में वास्तविक सिंचित क्षेत्र, योजनाओं का सामाजिक ग्रुप, वित्तीय श्रोत, लागत मरम्मत में व्यय की गई राशि तथा विद्युत एवं डीजल से परिचालन के ऑकड़ें एकत्रित किये जायेगें। इन अतिमहत्वपूर्ण ऑकड़ों (Database) का उपयोग केन्द्र एवं राज्य के योजना निर्माण एवं निति निर्धारण में किया जायेगा।

अतः राज्य के सभी नागरिकों से अपील है कि छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ 2017–18 और जल निकाय गणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा योजनाओं से संबंधित मॉगी गई सूचनाओं को निर्भीक होकर लभ्य करायें ताकि गणना का कार्य ससमय एवं समूचित ढंग से संपन्न हो सके। आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी सूचनाओं को पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा।

(राजेश्वर प्रसाद सिंह(भा०प्र०से०))
निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना